राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक :- F2(8)/Comp./GST/2017-18/192 दिनांक :- 21.06.17

परिपत्र

वर्तमान में मण्डल में सेवाकर कानून के प्रावधान लागू है एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाकर कानून (जी.एस.टी.) लागू करते ही यह कानून मण्डल पर भी लागू हो जाएगा। अतः भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो इसके लिये सेवाकर सलाहकार ने निम्नांकित सुझाव दिये है :-

1. मण्डल द्वारा आवंटित आवास, भूखण्ड के पेटे आवंटियों द्वारा जमा करवाई जा रही राशियों पर वर्तमान में सेवाकर कानून के तहत सेवाकर वसूला जा रहा है, किन्तु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वस्तु एवं सेवाकर कानून (जी.एस.टी.) लागू किये जाने की दिनांक से आवंटियो/आवेदकों/बोलीदाताओं द्वारा जमा करवाई जाने वाली राशि पर जी.एस.टी. कानून के तहत ही कर की देयता होगी। ऐसे समस्त आवंटन/मांग पत्र जो कि जी.एस.टी. कानून लागू होने की दिनांक से पूर्व में जारी होंगे उन आवंटन/मांग पत्रों के पेटे लागू होने की तिथि के बाद जमा होने वाली राशियों पर भी जी.एस.टी. कानून के तहत ही कर की देयता होगी। अतः जारी किये जा रहे समस्त आवंटन/मांग पत्रों में इसका स्पष्ट उल्लेख निम्नानुसार कर दिया जावें :-

   "आवंटन/मांग पत्र में वर्तमान में लागू सेवाकर के प्रावधानों के अनुसार ही कर राशि का अंकन किया गया है। किन्तु जी.एस.टी. कानून लागू होने की तिथि को एवं उसके पश्चात राशियां जमा करवाने पर जी.एस. टी. कानून के अनुसार ही कर की देयता होगी।"

2. वर्तमान में विभिन्न खण्ड कार्यालयों के अधीन चल रहे निर्माण एवं विकास कार्यों के भुगतान पर सेवाकर कानून के तहत कर की देयता है। जिस तिथि को केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जी.एस.टी. कानून लागू किया जाता है, उस दिनांक से पूर्व तक संवेदकों के द्वारा किये गये कार्यों के बिलों का भुगतान, जी.एस.टी. कानून लागू होने से 30 दिवस की अवधि में कर दिये जाने पर सेवाकर कानून के तहत ही कर की देयता होगी। किन्तु जी.एस.टी. कानून लागू होने की दिनांक से 30 दिवस पश्चात किये जाने वाले भुगतानों पर जी.एस.टी. कानून के तहत कर की देयता होगी। उदाहरणतः अगर जी.एस.टी. कानून 1 जुलाई, 2017 से लागू किया जाता है तो 30 जून, 2016 तक किये गये कार्यों के बिलों का भुगतान 30 जुलाई, 2017 तक किये जाने पर सेवाकर कानून के तहत कर की देयता होगी। इसके बाद किये जाने वाले भुगतानों पर जी.एस.टी. कानून के तहत कर की देयता होगी।

अतः समस्त आवासीय अभियन्ताओं एवं संबंधितों को निर्देशित किया जाता है कि कर देयता के संबंध में किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न न हो इस लिये जी. एस.टी. कानून लागू होने की दिनांक तक संवेदकों द्वारा किये गये कार्य का भुगतान जी.एस.टी. कानून लागू होने की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में किया जाना **एवं इस तथ्य से आपके खण्ड में कार्यरत समस्त संवेदकों को भी लिखित रूप से स्पीड पोस्ट से अवगत कराना सुनिश्चित करें।**

उक्त बिन्दुओं की अक्षरशः पालना सुनिशचित की जावें।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/मुख्यालय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अति. मुख्य अभियन्ता, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त .....
5. समस्त आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड .....
6. लेखाधिकारी (भुगतान) राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता एवं प्रभारी, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को भेजकर लेख है कि सभी इकाईयों के ई-मेल पर अपलोड करें।
8. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार